प्रेस नोट–104/2026
दिनांक 19.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद इटावा में आयोजित एक दिवसीय साइबर जागरूकता कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आज दिनांक 19.02.2026 को जनपद इटावा में आयोजित एक दिवसीय साइबर जागरूकता कार्यशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने साइबर जागरूकता कार्यशाला में उपस्थित अतिथिगण का आभार व्यक्त किया गया तथा साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक जनजागरूकता हेतु आयोजकों के - प्रयासों की सराहनाकी गयी।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि आज डिजिटल क्रांति ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। मोबाइल, इंटरनेट और ऑनलाइन भुगतान अब सुविधा नहीं, बल्कि हमारी दैनिक आवश्यकता बन चुके हैं। कुछ वर्ष पहले तक जहाँ बहुत कम लोग इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन करते थे, वहीं कोविड के बाद 70–80% नागरिक डिजिटल ट्रांजैक्शन को सामान्य जीवनशैली के रूप में अपनाने लगे हैं। भारत में सस्ता डेटा और व्यापक डिजिटल व्यवस्था ने इस बदलाव को तेज किया है। लेकिन जहाँ सुविधा बढ़ी है, वहीं साइबर अपराध भी तेजी से बढ़े हैं। अपराधियों ने तकनीक को ठगी का माध्यम बना लिया है।

उन्होने कहा कि सामान्य नागरिकों से जुड़े साइबर अपराध मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं—

1. वित्तीय लेन देन से सम्बन्धित साइबर फ्रॉड

लगभग 55–60% साइबर अपराध वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े होते हैं, जिनके तीन प्रमुख कारण है– लालच, लापरवाही और मनोवैज्ञानिक भय।

- **लालच**–अत्यधिक एवं सुनिश्चित लाभ का दावा करने वाली किसी भी योजना को संदिग्ध मानना चाहिए। कोई भी वैध वित्तीय प्रणाली अल्प समय में धन को दोगुना करने का आश्वासन नहीं देती। उन्होंने कहा कि कोई भी वैध निवेश माध्यम अस्वाभाविक रूप से ऊँचे और निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं देता, अतः नागरिकों को केवल SEBI या RBI से अधिकृत संस्थानों में ही निवेश करना चाहिए।
- **लापरवाही** – के संबंध में उन्होंने आगाह किया कि अनजाने लिंक, .apk फाइलें, फर्जी मैसेज अथवा विवाह कार्ड जैसे प्रलोभनों पर क्लिक करना मोबाइल हैकिंग और आर्थिक क्षति का कारण बन सकता है। डिजिटल उपकरणों के उपयोग में सतर्कता अत्यंत आवश्यक है।

- **मनोवैज्ञानिक भय** के विषय में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में कोई भी कानून प्रवर्तन एजेंसी/सरकारी संस्था–पुलिस, न्यायालय, CBI, ED अथवा आयकर विभाग–वीडियो कॉल अथवा ऑनलाइन माध्यम से गिरफ्तारी या जुर्माने की मांग नहीं करता। इस प्रकार के मामलों में प्रायः पढ़े-लिखे एवं अनुभवी लोग भी भय के कारण ठगी का शिकार हो जाते हैं।

2. सोशल मीडिया से सम्बन्धित साइबर फ्रॉड

सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग युवाओं को वर्चुअल दुनिया में ले जा रहा है। उन्होंने बच्चों एवं अभिभावकों को विशेष रूप से सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की लत के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत रहने की सलाह दी। युवाओं को यह समझना होगा कि साइबर गेमिंग में हमेशा गेम बनाने वाला जीतता है न कि खेलने वाला। उन्होने हाल ही में गाजियाबाद की दुखद घटना का भी उल्लेख किया जहाँ तीन सगी बहनों ने कोरियन ड्रामा की लत के चलते अपनी जीवन-लीला समाप्त कर ली।

3. डिजिटल अरेस्ट –

अपराधी स्वयं को पुलिस या जांच एजेंसी बताकर वीडियो कॉल करते हैं और पैसे मांगते हैं। सत्य यह है कि भारत की कोई भी सरकारी संस्था ऑनलाइन गिरफ्तारी या समझौते के नाम पर धन नहीं मांगती है।

साइबर अपराध से बचाव– पुलिस महानिदेशक ने बताया कि साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर सही एवं तथ्यात्मक सूचना देना अत्यंत आवश्यक है। यह भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रभावी तंत्र है, जिससे जुड़े सभी बैंक एवं एनबीएफसी संदिग्ध खातों को शीघ्र फ्रीज़ कर सकते हैं। समय पर दी गई सूचना से धनराशि सुरक्षित होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।

साइबर अपराध रोकथाम हेतु उ0प्र0 पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही– पुलिस महानिदेशक ने बताया कि साइबर अपराध की रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस ने संरचनात्मक रूप से व्यापक सुधार किए हैं। वर्ष 2014 में जहाँ प्रदेश में मात्र एक साइबर थाना था, वहीं वर्तमान में प्रत्येक जनपद में साइबर थाना स्थापित किया जा चुका है तथा सभी 1581 थानों में साइबर हेल्पडेस्क कार्यरत हैं। लगभग 26,000 पुलिसकर्मियों को साइबर मामलों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने जोर दिया कि सूचना देने में विलंब होने पर धन की रिकवरी की संभावना कम हो जाती है। उत्तर प्रदेश में इस संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप फ्रीज की गई धनराशि (Lien) के प्रतिशत में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसमें उ0प्र0 का देश में तीसरा स्थान है।

अंत में उन्होंने कहा कि डिजिटल सुविधाओं का सुरक्षित उपयोग तभी संभव है जब नागरिक जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों से अपील की, कि वे साइबर सुरक्षा के **"एंबेसडर"** बनकर अपने विद्यालयों, कार्यालयों एवं परिवारों में जागरूकता फैलाएं।

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

1930
Cyber Surakshit Bharat - Safe Bharat, Strong Bharat
Cyber Security Awareness Workshop
Thursday, 19 February, 2026
At- Suditi Global Academy, Etawah
Graced by the esteemed presence of
Organised by
Etawah Police

प्रेस नोट–105 / 2026
दिनांक 19.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की अयोध्या तथा मुरादाबाद इकाइयों द्वारा दो अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 19.02.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की अयोध्या एवं मुरादाबाद इकाइयों द्वारा दो अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन अयोध्या इकाई द्वारा बृजेश कुमार सिंह निवासी ग्राम व थाना पीपरपुर जनपद अमेठी से रिटायरमेन्ट के उपरान्त मिलने वाले समस्त देयको को बरामद करवाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री हरि ओम मिश्रा के नेतृत्व में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता गौरीगंज के पास से **वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता एहसान अहमद (नलकूप खण्ड गौरीगंज अमेठी)** पुत्र स्व0 रियाज अहमद निवासी डिहवा थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर को **15 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद इकाई द्वारा श्री बलवीर निवासी ग्राम ढंडूमरा थाना जुनावई जनपद सम्भल से नक्शा दुरूस्तीकरण के बाद रिपोर्ट/आख्या प्रेषित करने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री नवल मारवाह के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक कार्यालय तहसील परिसर गुन्नौर जनपद सम्भल के पास से **राजस्व निरीक्षक तस्लीम अहमद** (तहसील गुन्नौर, सम्भल) पुत्र स्व0 मुस्तफा अहमद निवासी जसवन्तपुरी थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर, हालपता जुलैपुरा थाना गुन्नौर जनपद सम्भल **2-महेन्द्र पाल (प्राइवेट व्यक्ति)** पुत्र रमेशचन्द्र निवासी ग्राम गुन्नौर अब्दुलहई थाना गुन्नौर जनपद सम्भल को **14 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–106/2026
दिनांक 19.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बुलन्दशहर/थाना जहांगीराबाद

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 19.02.2026 को थाना जहांगीराबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शिकारपुर रोड से पुरस्कार घोषित अभियुक्त होरीलाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जहांगीराबाद पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अलीगढ़, बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जहांगीराबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–होरीलाल निवासी गुरू शिखरन थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 18/19.02.2026 की रात्रि थाना कोतवाली नगर व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर काली नदी के पास पुरस्कार घोषित अभियुक्त

सरफराज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर व कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि 14 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सरफराज निवासी मलिक नगर थाना मुरादनगर, गाजियाबाद।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढ़ाना

- **पुलिस कार्यवाही में 15–15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 19.02.2026 को थाना बुढ़ाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मंदवाडा चौराहा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–आमिर उर्फ बाटा 2–समद उर्फ चीस घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बुढ़ाना पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आमिर उर्फ बाटा के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आमिर उर्फ बाटा निवासी मंदवाडा रोड थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर।

2–समद उर्फ चीस निवासी मंदवाडा रोड थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

- **जनपद फतेहपुर/थाना बिन्दकी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना बिन्दकी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–देवनरायन 2–जयनरायन को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहपुर/थाना हुसैनगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 55–55 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना हुसैनगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/34/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्तगण 1–रामचनद्र 2–सोहनलाल 3–हनुमन्त, 4–ऊदल उर्फ जगदीश प्रसाद को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 55–55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————